



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072021-228172
CG-DL-E-08072021-228172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2519]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/ आषाढ़ 16, 1943

No. 2519]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

का.आ. 2720(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः:-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	खंड किमी. में (3)
365बीजी	तेलंगाना राज्य में थल्लमपाडू के निकट नए रारा-365बीबी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मधुलापल्ली, बसवापुरम, सिरीपुरम (केजी), चंद्रपातला, येरगुंटा, थुंबुर, आंध्र प्रदेश में लिंगागुडेम, टी. नरसापुरम, बोरमपलेम, वल्लमपटला, देवुलापल्ली, राजावरम, वडलाकुंटा को जोड़ते हुए और देवरापल्ली के निकट रारा-16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	समग्र राष्ट्रीय राजमार्ग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में

[फा. सं. एनएच-14013/10/2021-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

S.O. 2720(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Stretch in Kilometers (3)
365BG	The highway starting from its junction with new NH 365BB near Thallampadu connecting Madhulapalli, Basvapuram, Siripuram (KG), Chandrapatla, Yerragunta, Thumbar in the state of Telangana, Lingagudem, T.Narsapuram, Borrapalem, Vallampatla, Devulapalli, Rajavaram, Vadlakunta and terminating at its junction with NH 16 near Devarapalle in the State of Andhra Pradesh.	Entire NH in the states of Telangana and Andhra Pradesh

[F. No. NH-14013/10/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

का.आ. 2721(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
"34"	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [किमी 9.4 से किमी 22.300 (हैदराबाद - बंगलुरु खंड), सं. 9 [नई रारा 65 के किमी 40.00 से आ. प्र. सीमा और किमी 423.800 से किमी 493.000 (कर्नाटक सीमा- सांगारेड्डी) तक खंड को छोड़कर], सं. 16, (नई रारा सं. 63) [किमी 28.00 से किमी 168.00 (अरमूर - मांचेरियल खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 163 [किमी 18.600 से किमी 150.00 (हैदराबाद - यादगिरी - वारंगल खंड) और किमी 14.00 से किमी 59.50 (हैदराबाद - मन्नेगुडा खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 167 के, सं. 221 [(नई रारा सं. 30) किमी 71.200 से किमी 121.00 (आ. प्र. सीमा से रुद्रमपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 222 [(नया रारा सं. 61) महाराष्ट्र सीमा से जगतियाल (नई रारा 44) (किमी 615.00 से किमी 668.60) (महा. /आं. प्र. सीमा कल्याण - निर्मल खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 167 [किमी 182.120 से किमी 283.00 (तेलंगाना / कर्नाटक सीमा (हगगारी) - महबूब नगर - जेडचेरला खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 353सी, नई रारा सं. 565 [आ. प्र. सीमा - नलगोंडा-	तेलंगाना राज्य सरकार"

नकरेक्कल (नई रारा 65)], नई रारा सं. 765 [किमी 23.00 से किमी 108.800 (हैदराबाद – डिंडी खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा 365 [किमी 72.60 से किमी 121.00 (तन्नमचेरला – जमन्डलपल्ली खंड) और किमी 154.00 से किमी 187.00 (मंगलवारपेट – मल्लमपल्ली खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 150 (कर्नाटक सीमा के भीतर दोनों ओर), नई रारा सं. 161बी, नई रारा सं. 353बी, नई रारा सं. 363 [किमी 0.000 से किमी 94.602 (मांचेरियल से तेलंगाना / महाराष्ट्र सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 365ए [किमी 0.00 से किमी 35.40 (कोदाद - खम्मम खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 365बी, नई रारा सं. 161बीबी [किमी 0.00 से किमी 38.700 (मदरूर – रुदरूर – बोधन खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 765डी, नई रारा सं. 167एन, नई रारा सं. 930पी और नई रारा सं. 765डीजी के उतने भाग जो तेलंगाना राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--

[फा. सं. एनएच-14013/10/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं.का.आ. 2179(अ), दिनांकित 8 जून, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

S.O. 2721(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 34 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
“34	So much of National Highways No. 7 [from Km 9.4 to Km 22.300 (Hyderabad- Bangaluru section), No. 9 [New NH 65 excluding from Km 40.000 to AP Border and from km 423.800 to km 493.000 (Karnataka Border – Sangareddy section), No. 16 (new NH No.63) [excluding Km. 28.00 to Km 168.00 (Armoor- Mancherla section)], new NH No. 163 [excluding from Km 18.600 to Km 150.00 (Hyderabad- Yadgiri- Warangal section) and Km. 14.00 to Km. 59.50 (Hyderabad- Manneguda section)], new NH No. 167K, No.221 [(New NH No.30)[excluding from Km 71.200 to Km 121.00 (AP Border to Rudrampur Section)], No.222 [New NH No.61] (Maharashtra Border to Jagityal) (New NH-44)] {[excluding from Km 615.00 to Km 668.60] Mah/AP border Kalyan-Nirmal Section), New NH No.167 [excluding Km. 182.120 to 283.00 {Telangana/ Karnataka border (Haggari)- Mahabubnagar- Jadcherla section}], New NH No. 353C, New NH No.565 [from AP Border-Nalgonda- Nakrekal (New NH-65)], New NH No.765 [excluding from km 23.00 to km 108.800 (Hyderabad- Dindi Section)], New NH No.365 [(excluding from Km 72.60 to Km 121.00 (tannamcherla-Jamandlapally section) and from Km. 154.00 to 187.00 Mangalwarpet- Mallampalli Section)], New NH No.150 (within Karnataka Border on either side), New NH No. 161B, New NH No.353B, New NH No.363[excluding from km 0.000 to Km 94.602 (Mancherla to Telangana/Maharashtra border Section)], New NH No.365A [excluding from Km. 0.00 to Km 35.40 (Kodad- Khammam section)], new NH No. 365B, new NH No. 161BB [excluding	State Government of Telangana”

	from km 0.00 to km 38.700 (Madrur- Rudrur- Bodhan section)], new NH No. 765D, New NH No.167N, New NH No.930P and New NH No.765DG as are situated within the State of Telangana.	
--	---	--

[F. No. NH-14013/10/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O 1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2179 (E), dated the 8th June, 2021.